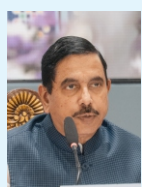


अगस्त 2026

ब्रिक्स देशों में मानकीकरण सहयोग पर बनी सहमति बैंगलुरु में ब्रिक्स राष्ट्रीय मानक निकायों की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक संपन्न



भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत बैंगलुरु में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने मानकीकरण के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने और साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान ऐसे मानक ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया गया, जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करें। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की थीम 'बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बहुपक्षीय प्रगति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मानव-केंद्रित विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है।



भारत का दृढ़ विश्वास है कि मानकों का विकास समावेशी, पारदर्शी और सर्वसम्मति-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें सभी देशों की विविध आवश्यकताओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए।"

प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे ने शिखर सम्मेलन के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपसी सहयोग से ऐसे मानक तैयार किए जा सकते हैं, जो न केवल व्यापार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक मजबूत, टिकाऊ और समावेशी भविष्य के निर्माण में भी योगदान देंगे।

शिखर सम्मेलन में मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता जापान (एमओयू) को आकार दिया गया। यह इस सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि रही। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इसके माध्यम से गुणवत्ता से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा बढ़ाने और व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को कम करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं, जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, के साथ समूह की भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। इससे सदस्य देशों के बीच संस्थागत सहयोग और एक-दूसरे के मानकों की मान्यता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय गर्ग ने कहा कि संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग और एक-दूसरे के उत्तम कार्यप्रणाली को साझा करने से आने वाले वर्षों में वैश्विक मानकीकरण व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इस समझौते के दायरे में ऐसे देश शामिल हैं, जिनकी संयुक्त आबादी विश्व की करीब 49.5 प्रतिशत है। इन देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में करीब 26 प्रतिशत है।

अन्य प्रमुख खबरें

समाचार में मानक

IS 17017 (भाग 24): 2021 – विद्युतीय वाहन चालकता चार्जिंग पद्धति

02

विकासशील मानक

थोक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए पीपी से बने वायुरोधी सीलबंद बोरे

03

विशेष लेख

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानकीकरण

04-05

अनुरूपता मूल्यांकन

चांदी शोधन इकाइयों के प्रमाणन की योजना

06

उद्योग-अकादमिक साझेदारी

साइबर सुरक्षा और निजता पर संगोष्ठी: मानकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना

07

मानक संवर्धन

कश्मीर के क्रिकेट बैट निर्माताओं के संघ के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बैठक
जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए शाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

08



गुणवत्ता का पहला चिह्न

हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक



भारत का राष्ट्रीय ध्वज

भारतीय मानक IS 1:1968 राष्ट्रीय ध्वज के आकार, अनुपात, सामग्री और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।



लंबाई : चौड़ाई = 3 : 2

हाथ से बुनी सूती खादी

केवल IS 1:1968 के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज का ही उपयोग करें।

तिरंगे का सम्मान | राष्ट्र का सम्मान

समाचार में मानक

अधिसूचित गुणवत्ता मानक

बीआईएस लगातार अपने गुणवत्ता मानकों के संग्रह का विस्तार कर रहा है। **वर्तमान में 22,811 भारतीय मानक लागू हैं।** ये मानक सुरक्षित उत्पादों, मजबूत उद्योगों और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जुलाई 2026 में 64 नए भारतीय मानक और 59 पुनरीक्षण भारतीय मानक प्रकाशित किए गए, जबकि 29 भारतीय मानकों में संशोधन किया गया। जुलाई में प्रकाशित कुछ नए भारतीय मानक इस प्रकार हैं -

आयुष

IS 19856: 2026 चूर्णम टैबलेट (औषधीय पाउडर टैबलेट) तैयार करना - रीति संहिता

IS 19857: 2026 कुडिनीर टैबलेट (काढ़े का टैबलेट) तैयार करना - रीति संहिता

रासायन

IS 19870: 2026 गैस विश्लेषण - शुद्धता का विश्लेषण और शुद्धता संबंधी आंकड़ों का प्रसंस्करण

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

IS 19834: 2026 एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (EA) सुरक्षा - रीति संहिता

IS 19835: 2026 जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर (ZTA) - कार्यान्वयन ढांचा

प्रबंधन प्रणाली

IS/ISO 56001: 2024 नवाचार प्रबंधन प्रणाली - आवश्यकताएं

कार्यान्वयन में मानक

IS 17017 (भाग 24): 2021 - विद्युतीय वाहन चालकता चार्जिंग पद्धति भाग 24 डीसी चार्जिंग के नियंत्रण के लिए विद्युत वाहन एवं विद्युतीय वाहन प्रदाय उपकरण के बीच अंतर्दृष्टि संचार

IS 17017 (भाग 24): 2021 में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और DC इलेक्ट्रिक वाहन सफ्टवेयर उपकरण के बीच डिजिटल संचार के लिए जरूरी मानक तय किए गए हैं। यह मानक 1000 वोल्ट एसी या 1500 वोल्ट डीसी तक की क्षमता वाले कंडक्टिव मोड-4 चार्जिंग सिस्टम पर लागू होता है। इस मानक में चार्जिंग के दौरान वाहन और चार्जिंग उपकरण के बीच तेज और भरोसेमंद संचार के लिए कंट्रोल एरिया नेटवर्क और होमप्लग ग्रीन पीएचवाय (एक लो-पावर पावरलाइन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल) जैसी तकनीकों के इस्तेमाल का प्रावधान है। इससे अलग-अलग कंपनियों के चार्जिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच बेहतर तालमेल, सही डेटा का आदान-प्रदान और सुरक्षित चार्जिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए मानक में संचार और नियंत्रण प्रणाली की पूरी जांच को अनिवार्य किया गया है। इसमें इंसुलेशन की जांच, शॉर्ट सर्किट की पहचान, कॉन्टेक्टर में वोल्टेज की स्थिति का पता लगाना, करंट धुन्य होने की पुष्टि, समय सीमा की निगरानी और निर्धारित मापदंडों की जांच जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस तरह, IS 17017 (भाग 24): 2021 इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रभावी DC चार्जिंग व्यवस्था विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस

मानक / उत्पाद	लाइसेंसधारी
IS 19210:2025 - प्री-पैटेड जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम मिश्रधातु लेपित स्टील स्ट्रिप और शीट	आर्सेलरमिताल निप्पोन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
IS 17524:2021 - कैस्टर्स और पहिए: घूमने वाली कुर्सियों के लिए कैस्टर्स की आवश्यकताएं	रीगल कैस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
IS 18158:2023 - टेक्सटाइल फ्लोर कवर्जिंग: लैंडस्केप के लिए सिंथेटिक यार्न से बना कृत्रिम घास कालीन	E3 टेक्नोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
IS 2062 (भाग 2):2026 - स्ट्रक्चरल स्टील, भाग 2: हॉट रोल्ड वेंचेंड एवं टेम्पर्ड स्टील प्लेट, शीट, स्ट्रिप और वाइड फ्लैट	आर्सेलरमिताल निप्पोन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
IS 408:2020 - ग्रीस नंबर 0, ग्रेफाइट	प्रभात केमिकल इंडस्ट्रीज
IS 19461:2025 - सुरक्षा उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक	टचवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

फोकस में मानक

IS 19461: 2025 - सुरक्षा उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक - विशिष्टि

यह मानक उच्च सुरक्षा वाले भंडारण और परिसर की सुरक्षा के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक लॉक ताला एवं प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है। इसमें तिजोरियों, सुरक्षित कक्षों और जमा लॉकरों में रखी नकदी, कीमती धातुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली लॉकिंग प्रणालियाँ शामिल हैं। IS 19461: 2025 में प्रमुख सुरक्षा और कार्यक्षमता के साथ-साथ कुछ वैकल्पिक सुरक्षा सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। इनमें मान्य खोलने वाले कोड, दूर से संचालन की सुविधा, भौतिक और रासायनिक हमलों के प्रति प्रतिरोध, अलार्म प्रणाली से जुड़ने की सुविधा तथा समय-आधारित लॉकिंग व्यवस्था शामिल हैं।

IS 19461: 2025 में ताले के डिजाइन, डेटा सुरक्षा और प्रवेश के तरीकों से संबंधित कड़े परिचालन दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

- वर्गीकरण:** बिजली चले जाने की स्थिति में ताले के व्यवहार के आधार पर इन्हें प्रकार 1 (फेल सिंक्रोर) और प्रकार 2 (फेल सेफ) में वर्गीकृत किया गया है।
- कोड और नियंत्रक का संयोजन:** खोलने वाले कोड को नियंत्रक में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना आवश्यक है। निर्धारित सुरक्षा स्तरों के लिए इनपुट उपकरण और नियंत्रक इकाई के बीच भौतिक या डिजिटल रूप से सुरक्षित संयोजन का प्रावधान किया गया है।
- कूटलेखन:** उच्च सुरक्षा वर्गों में इनपुट उपकरण और नियंत्रक के बीच संचार के लिए 128-बिट एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (AES) या समकक्ष कूटलेखन विधि का उपयोग आवश्यक किया गया है।
- बिजली और बैटरी प्रबंधन:** बैटरी कम होने पर चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि चेतावनी मिलने के बाद भी ताला न्यूनतम निर्धारित संख्या में संचालित किया जा सके।
- जैवमितीय प्रमाणीकरण:** जैवमितीय माँझूल में हार्डवेयर स्तर की जीवंतता पहचान की सुविधा होना आवश्यक है। फिंगरप्रिंट सेंसर का रिजॉल्यूशन कम से कम 500 DPI होना चाहिए तथा ताले को लॉक या अनलॉक करने का नियंत्रण पूरी तरह नियंत्रक इकाई के पास होना चाहिए।
- उच्च सुरक्षा वाले इलेक्ट्रॉनिक ताले:** उच्च सुरक्षा स्तरों के लिए दबाव में खोले जाने की स्थिति के लिए विशेष कोड, बदले न जा सकने वाले ऑडिट रिकॉर्ड, कई उपयोगकर्ताओं के लिए दोहरी नियंत्रण व्यवस्था, नेटवर्क कनेक्शन पर नियंत्रण और सुरक्षित फर्मवेयर अपडेट की सुविधा जैसी उन्नत व्यवस्थाएँ अनिवार्य की गई हैं।



IS 19461: सुरक्षा उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक - विशिष्टि

— सुरक्षा विशेषताएं: —

केवल अधिकृत कोड/बायोमेट्रिक से ही लॉक खुले

नकली फिंगरप्रिंट पहचान कर अस्वीकार करे

5,000-10,000 ऑपरेशन साइकिल तक प्रदर्शन जांच

128-बिट AES एन्क्रिप्शन से डेटा सुरक्षित

लो बैटरी अलर्ट के बाद भी कम से कम 25 बार संचालन संभव

झूठस मोड में दबाव की स्थिति में गुप्त अलर्ट भेजने की सुविधा

विकासाधीन मानक

मीटिंग इन फोकस: TXD 23 अनुभागीय समिति की 40वीं बैठक

21 जुलाई 2026 को TXD 23 अनुभागीय समिति की 40वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय पैकेजिंग संस्थान, दिल्ली के अपर निदेशक प्रो. (डॉ.) तनवीर आलम ने की।

TXD 23 के कार्यक्षेत्र

पॉलीओलेफिन से बने वस्त्र सामग्रियों (रस्सी और डोरी को छोड़कर) के लिए विनिर्देश और परीक्षण विधियों से संबंधित भारतीय मानक तैयार करना।

महत्वपूर्ण निर्णय:

नए मानक का विकास

'थोक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए पीपी से बने वायुरोधी सीलबंद बोरे' विषय पर भारतीय मानक को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब इसे **प्रकाशन** के लिए तैयार किया गया है।

भारतीय मानकों का संशोधन

IS 16703 - उर्वरक पैकेजिंग के लिए एचडीपीई/पीपी बुने हुए बोरे, **IS 9755** - उर्वरक पैकेजिंग के लिए एचडीपीई/पीपी बुने हुए बोरे, **IS 12100** - आटा पैकेजिंग के लिए एचडीपीई/पीपी बुने हुए बोरे, **IS 14252** - रेत पैकेजिंग के लिए एचडीपीई/पीपी बुने हुए बोरे। इन सभी भारतीय मानकों में संशोधन कर उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है और अब ये **प्रकाशन** के लिए तैयार हैं।

भारतीय मानकों में संशोधन

IS 17399:2020 - डाक छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए एचडीपीई/पीपी लेमिनेटेड बुने हुए बोरे - विनिर्देश, IS 6192:2023 - एकदिशीय रूप से उन्मुख एचडीपीई और पीपी टेप - विनिर्देश, IS 7903:2017 - एचडीपीई बुने हुए कपड़ों से बने तिरपाल - विनिर्देश। इन तीनों भारतीय मानकों में संशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब उन्हें **प्रकाशन** के लिए तैयार किया गया है।



व्यापक परिचालनाधीन मसौदे

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मानकीकरण के प्रति अपने समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए 'व्यापक प्रचलन में मसौदों' पर सुझाव मांगे हैं। इन मसौदों में नए, संशोधित और संशोधित मानक शामिल हैं। अगस्त 2026 में प्रचलन में रहे कुछ मसौदे इस प्रकार हैं:

व्यापक परिचालनाधीन मसौदे पर फोकस

घर्षण कम करने वाली कोटिंग के लिए मानक मसौदा

यह मानक मसौदा गैर-संक्षारक गैसों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली तटीय और समुद्री स्टील पाइपलाइनों की आंतरिक सतह पर लगाई जाने वाली घर्षण कम करने वाली कोटिंग के लिए अपेक्षाओं और परीक्षण विधियों को निर्धारित करता है।

प्रमुख विशेषताएं:

गैस प्रवाह की बेहतर दक्षता: यह कोटिंग पाइप की आंतरिक सतह को अधिक चिकना बनाती है। इससे सतह का खुरदरापन कम होता है, दबाव में कमी घटती है और गैस के परिवहन की दक्षता बढ़ती है।

संक्षारण से सुरक्षा: मानक मसौदे में ऐसी कार्यक्षमता के मानक निर्धारित किए गए हैं, जो पाइपलाइन की स्थापना से पहले रख-रखाव, परिवहन और भंडारण के दौरान उसकी आंतरिक सतह को अस्थायी संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

यह मानक मसौदा जनता की समीक्षा और सुझावों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। दो महीने की परामर्श अवधि के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और टिप्पणियों की CHD 20 (पेट, वार्निश और संबंधित उत्पाद) अनुभागीय समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके बाद मसौदे को अंतिम रूप देकर भारतीय मानक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

आयुष

यूनानी वेलनेस सेंटर - सेवा संबंधी आवश्यकताएं

रसायन

हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी - हाइड्रोजन प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मूलभूत आवश्यकताएं रेफ्रिजरेट - विनिर्देश

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग - सॉफ्टवेयर जीवन चक्र प्रक्रियाएँ भारतीय पता मानक (भाग 1) - अवधारणात्मक मॉडल और डिजिटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ISO 9001:2015 के अनुप्रयोग के लिए दिशा-निर्देश

सिविल इंजीनियरिंग

मिट्टी-फूस से बनी समतल छत की फिनिश - कार्यविधि संहिता आपातकालीन निकास उपकरण - विनिर्देश कंटीन्यूअस फ्लाइट ऑंगर कंक्रीट पाइल्स का डिजाइन और निर्माण - कार्यविधि संहिता चट्टानों पर उथली नींव का डिजाइन और निर्माण - कार्यविधि संहिता



बीआईएस, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं से अनुरोध करता है कि वे मानक मसौदा पोर्टल पर जाकर अपने सुझाव और टिप्पणियां देकर सक्रिय रूप से

हर ऊंचाई
पर प्रगति की
मज़बूत नींव

राष्ट्रीय
भवन
निर्माण
मानक



विस्तृत रूप से जानने के
लिए स्कैन करें

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानकीकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केवल शोध के क्षेत्र तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहरों, परिवहन और रोजगार की जिंदगी के कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण तकनीक बन गई है। जैसे-जैसे एआई प्रणालियां अधिक शक्तिशाली होती जा रही हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनका उपयोग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साझा अवधारणाओं, शब्दावली और तकनीकी मानकों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। मानकीकरण इस दिशा में एक साझा आधार उपलब्ध कराता है। यह बड़े आंकड़ों से उपयोगी और सार्थक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, आंकड़ों की गुणवत्ता के लिए आवश्यक मानदंड तय करता है तथा एआई से जुड़े शासन, सुरक्षा, निजता, नैतिकता और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसके जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत ने राष्ट्रीय नीतियों में एआई के मानकीकरण को शामिल किया है और ISO/IEC JTC 1/SC 42 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार करने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के मानकीकरण का दृष्टिकोण ऐसी नीतियों पर आधारित है, जो पिछले करीब एक दशक में लगातार विकसित हुई हैं। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय एआई रणनीति और जिम्मेदार एआई के सिद्धांतों से हुई और अब यह अधिक व्यवस्थित शासन व्यवस्था और मानकीकरण ढांचे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी नींव जून 2018 में रखी गई, जब नीति आयोग ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति (NSAI) जारी की। इसका मुख्य उद्देश्य **“#AIforAll: समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी में नेतृत्व”** की सोच को आगे बढ़ाना था। इस रणनीति में पांच ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और सामाजिक प्रभाव व्यापक हो सकता है। ये क्षेत्र हैं - स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा, स्मार्ट परिवहन और आवागमन। रणनीति में एआई के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने, कुशल मानव संसाधन तैयार करने, एआई की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और इसके जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति एक अलग कानून के बजाय नीति और रणनीति से संबंधित दस्तावेज के रूप में तैयार की गई थी। इसने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और इसके व्यापक उपयोग के लिए एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए **नीति आयोग ने जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)** पर दो भागों में काम किया। इसका पहला भाग “भारत के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज : भाग 1 - **जिम्मेदार एआई के सिद्धांत**” फरवरी 2021 में जारी किया गया। इस दस्तावेज में **एआई के जिम्मेदार उपयोग और प्रबंधन के लिए सात प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं - सुरक्षा और विश्वसनीयता, समानता, समावेशिता और भेदभाव से मुक्त व्यवस्था, निजता और सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, सकारात्मक मानवीय मूल्यों का संरक्षण और उन्हें मजबूत करना।** इन सिद्धांतों का उद्देश्य एआई के विकास और उपयोग से जुड़े सभी पक्षों के लिए एक साझा रूपरेखा तैयार करना था, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और इस्तेमाल सुरक्षित, जिम्मेदार और मानव-केंद्रित तरीके से किया जा सके।

इसके बाद अगस्त 2021 में “भारत के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज : भाग 2 - **जिम्मेदार एआई के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना**” जारी किया गया। इस दस्तावेज में केवल सिद्धांतों को बताने के बजाय, उन्हें व्यवहार में लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं, शासन प्रणाली, नीतियों और कार्यप्रणालियों पर विस्तार से विचार किया गया। दस्तावेज में सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों को साथ लेकर बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, तेजी से बदलती तकनीक को ध्यान में रखते हुए लचीली और जोखिम-आधारित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि एआई के विकास और उपयोग के साथ नीतियों और व्यवस्थाओं में भी आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

तीसरा प्रमुख स्तंभ **“भारत एआई शासन दिशा-निर्देश”** है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत-एआई मिशन के तहत नवंबर 2025 में जारी किया। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के विकास, उपयोग और नियमन के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा दी गई है। विशेष रूप से इन दिशा-निर्देशों में ISO/IEC मानकों के अनुरूप काम करने को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित बीआईएस के मानकों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।** इससे राष्ट्रीय एआई शासन नीति और औपचारिक मानकीकरण व्यवस्था के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है।

मानकों में सामंजस्य

राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को **भारतीय मानक ब्यूरो की तकनीकी समिति LITD 30 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह समिति **ISO/IEC JTC 1/SC 42 की राष्ट्रीय समकक्ष समिति** के रूप में कार्य करती है। LITD 30 का कार्यक्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मानकीकरण से संबंधित है। यह समिति **10 कार्य समूहों के माध्यम से काम करती है और अब तक 32 भारतीय मानकों के प्रकाशन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। LITD 30, SC 42 में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत के राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयास अंतरराष्ट्रीय एआई मानकीकरण प्रयासों के अनुरूप हों।

LITD 30 की सदस्यता में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों की व्यापक भागीदारी है। इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षण एवं शोध संस्थान, विभिन्न संगठन और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं **जैसे कि- सरकार और नियामक संस्थाएं:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग और मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन। **उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व:** एबीबी इंडिया लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिजनेस ब्रियो, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, इंटेल इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनफोसिस लिमिटेड और देवलेट पैकार्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। **शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जैसे कि -** भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु; आईआईटी कानपुर; आईआईटी मद्रास; आईआईटी पटना; इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली और वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एआई। **उद्योग एवं अन्य संगठन:** भारतीय उद्योग परिसंघ, नेसकॉम और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। **स्वतंत्र विशेषज्ञ:** अपने व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने वाले विशेषज्ञ भी समिति का हिस्सा हैं। इन सभी हितधारकों के सर्वसम्मत विचार और सहमति के आधार पर राष्ट्रीय मानकों को तैयार किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय मानक विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विशेषज्ञों के अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं।

LITD 30 के अंतर्गत गठित 10 कार्य समूह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानकीकरण से जुड़े विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों को कवर करते हैं। **कार्य समूह 01 - आधारभूत मानक, कार्य समूह 02 - डेटा, कार्य समूह 03 - विश्वसनीयता, कार्य समूह 04 - उपयोग के मामले और अनुप्रयोग, कार्य समूह 05 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के संगणकीय दृष्टिकोण और विशेषताएं, कार्य समूह 06 - एआई प्रणालियों का परीक्षण, कार्य समूह 07 - एआई आधारित स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, कार्य समूह 08 - कार्यात्मक सुरक्षा और एआई प्रणालियां, कार्य समूह 09 - प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रणालियां, कार्य समूह 10 - उपभोक्ता उत्पादों में एआई आधारित दावों के लिए दिशा-निर्देश दस्तावेज।**

ISO/IEC JTC 1/SC 42 स्थापना के बाद से यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन गया है। वर्तमान में इसमें **58 देश भागीदार सदस्य (P-member)** और **25 देश पर्यवेक्षक सदस्य** के रूप में शामिल हैं। अब तक समिति द्वारा **44 अंतरराष्ट्रीय मानक प्रकाशित** किए जा चुके हैं, जबकि **48 अन्य मानक तैयार किए जा रहे हैं। भारत शुरुआत से ही ISO/IEC JTC 1/SC 42 का भागीदार सदस्य रहा है।** इससे भारत को समिति के शुरुआती मानकों, रूपरेखाओं और शासन व्यवस्था को तैयार करने में योगदान देने का अवसर मिला है। भारत की भागीदारी **बीआईएस की तकनीकी समिति LITD 30 (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा) के माध्यम से होती है।**

इस व्यवस्था के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े 32 भारतीय मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इन मानकों में एआई के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें एआई से जुड़ी शब्दावली और परिभाषाएं, संदर्भ ढांचा, एआई प्रणाली के जीवन-चक्र की प्रक्रियाएं, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रक्रिया प्रबंधन ढांचा, डेटा की गुणवत्ता और एआई प्रणालियों में पक्षपात जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा, इन मानकों में एआई से जुड़े नैतिक और सामाजिक मुद्दों, एआई प्रणालियों की विश्वसनीयता, एआई के प्रभाव का आकलन, न्यूरोल नेटवर्क की मज़बूती, एआई के अनुप्रयोगों के लिए मार्गदर्शन, एआई के संचालन और प्रबंधन, एआई प्रबंधन प्रणाली तथा उसके ऑडिट और प्रमाणन की अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया है।

प्रकाशित 43 अंतरराष्ट्रीय मानकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े कई महत्वपूर्ण मानक शामिल हैं। इनमें एआई प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO/IEC 42001, एआई से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए ISO/IEC 23894, एआई की अवधारणाओं और शब्दावली के लिए ISO/IEC 22989 तथा मशीन लर्निंग आधारित AI प्रणालियों के लिए ISO/IEC 23053 प्रमुख हैं। इसके अलावा, एआई प्रणालियों और एआई की मदद से लिए जाने वाले फैसलों में पक्षपात, एआई की विश्वसनीयता और एआई प्रणालियों की गुणवत्ता से जुड़े मानक भी शामिल हैं। **भारत ने इनमें से कई अंतरराष्ट्रीय मानकों को भारतीय मानक (IS/ISO/IEC) के रूप में अपनाया है।** इससे उद्योग, सरकार और नियामक संस्थाओं के लिए एआई से जुड़े मानकों को लागू करना आसान हो रहा है।

वर्तमान में 48 मानकों पर काम चल रहा है। इनमें ISO/IEC 42003, जो ISO/IEC 42001 को लागू करने के लिए मार्गदर्शन देता है, ISO/IEC 42007, जो एआई प्रणालियों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजनाएं तैयार करने से जुड़ा है, और ISO/IEC 42105, जो एआई प्रणालियों की निगरानी में मानव की भूमिका के बारे में मार्गदर्शन देता है, प्रमुख हैं। इसके अलावा, जनरेटिव एआई प्रणालियों से जुड़े जोखिमों से निपटने, जनरेटिव एआई आधारित टेक्स्ट प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रणालियों की सटीकता और एआई प्रणालियों की कार्यात्मक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी मानक तैयार किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई से जुड़े मानकों के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इनमें विश्वसनीय एआई, एआई का बेहतर संचालन, डेटा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, सुरक्षा और एआई प्रणालियों के पूरे जीवन-चक्र जैसे उभरते विषयों को शामिल किया जा रहा है। इस वैश्विक प्रयास में भारत भी बीआईएस की LITO 30 समिति के माध्यम से सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

भारत का योगदान

ISO/IEC TC 1/SC 42 के तहत भारत की सक्रिय भागीदारी ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। प्रकाशित भारतीय योगदानों में ISO/IEC 24668:2022, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से संबंधित है; ISO/IEC 5339:2024, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है; तथा ISO/IEC TR 42106, एआई सिस्टम की गुणवत्ता विशेषताओं के विभिन्न बेंचमार्किंग तरीकों का अवलोकन प्रस्तुत करता है, शामिल हैं। इसके अलावा, विकासाधीन परियोजनाओं में ISO/IEC DTS 42119-3, एआई सिस्टम के वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के विश्लेषण से संबंधित है; ISO/IEC AWI 25590, जनरेटिव AI एप्लिकेशन के आउटपुट डेटा की गुणवत्ता के लिए मार्गदर्शन; ISO/IEC AWI TS 25864, एआई सिस्टम की प्रतिरोध क्षमता का आकलन; ISO/IEC WD TS 25570, एआई सिस्टम की रिलायबिलिटी के आकलन पर केंद्रित है; तथा ISO/IEC AWI TS 25569, मशीन लर्निंग के लिए ट्रेनिंग डेटा के डी-आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है, शामिल हैं।

भारत की ओर से SC 42 में कुछ नए प्रस्तावों पर भी चर्चा चल रही है। इनमें एजेन्टिक एआई सिस्टम्स के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य ऐसे एआई सिस्टम के डिज़ाइन और इस्तेमाल में बढ़ती असंगति को दूर करना और अलग-अलग एआई प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। इसमें ऐसे स्वायत्त एआई एजेंटों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने पर जोर दिया गया है, जो अपने लक्ष्यों के अनुसार काम करने के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग कर सकें। इसके अलावा, एआई एजेंट की क्षमताओं का विवरण तैयार करने के लिए भी एक साझा ढांचे का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य AI एजेंट की क्षमताओं, सीमाओं और स्वायत्तता के स्तर को एक समान तरीके से बताना है, ताकि एआई के कामकाज में पारदर्शिता बढ़े और अलग-अलग प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। भारत ने एआई प्रणालियों में निष्पक्षता के आकलन के लिए भी एक ढांचे का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एआई में किसी तरह के अनचाहे पक्षपात की पहचान, उसके आकलन, दस्तावेजीकरण और परिणामों को एक तय तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इससे AI प्रणालियों को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी।

जिस तरह एजेन्टिक एआई, जनरेटिव एआई और तेज़ी से स्वायत्त होती एआई प्रणालियां तकनीक की दुनिया को बदल रही हैं, ऐसे में एआई के लिए समन्वित और सर्वसम्मति पर आधारित मानकीकरण बेहद जरूरी है। यह मानकीकरण विश्वसनीयता, निष्पक्षता, सुरक्षा और विभिन्न प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल पर आधारित होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि एआई का विकास जिम्मेदार, पारदर्शी और समाज के लिए लाभकारी बना रहे।

रीना गर्ग

उप-महानिदेशक (मानकीकरण)
भारतीय मानक ब्यूरो

ब्रिक्स राष्ट्रीय मानक निकायों की बैठक के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में मानकीकरण पर विषयगत कार्यशाला



17 जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में मानकीकरण पर एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित हुई। कार्यशाला में भारत के भारतीय मानक ब्यूरो के साथ रूस के GOST R, चीन के SAC, ब्राज़ील के ABNT और संयुक्त अरब अमीरात के MOIAT-SAS मानक निकायों के विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रमुखों के बीच एआई से जुड़े मानकों पर चर्चा और विचार-विमर्श हुआ। बैठक का उद्देश्य एआई के क्षेत्र में उभरती मानकीकरण संबंधी प्राथमिकताओं की पहचान करना और तकनीकी सहयोग के नए अवसर तलाशना था।

अनुरूपता मूल्यांकन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने जुलाई 2026 में भी देशभर में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान कई राज्यों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अनिवार्य भारतीय मानकों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाना था।

- **भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के हैदराबाद शाखा कार्यालय** ने 21 जुलाई 2026 को वारंगल में एक आभूषण की दुकान पर छापेमारी की। यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में की गई। जांच के दौरान दुकान में बड़ी मात्रा में बिना अनिवार्य बीआईएस हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बिक्री के लिए रखे मिले। कार्रवाई के दौरान करीब **7.875 किलोग्राम बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण** जब्त किए गए। इनमें नेकलेस सेट, अंगूठियां, चेन, झुमके और अन्य आभूषण शामिल थे। जब्त आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब **10 करोड़ रुपये** बताई गई है।



वारंगल में छापेमारी (हैदराबाद)

- **बीआईएस के नोएडा शाखा कार्यालय** ने 13 जुलाई 2026 को नोएडा स्थित रेकनो म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान **ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले इलेक्ट्रिक और एकोस्टिक कॉम्बो एम्पलीफायर** पाए गए, जो निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं थे। इन उत्पादों की कीमत करीब **4 लाख रुपये** बताई गई है। बीआईएस ने उन्हें जब्त कर लिया और बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की।
- **बीआईएस के हैदराबाद शाखा कार्यालय** ने 10 जुलाई 2026 को सिकंदराबाद के पॉट मार्केट स्थित एक आभूषण की दुकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण जब्त किए गए। जब्त आभूषणों में **सोने की अंगूठियां, नेकलेस, चूड़ियां, चेन और झुमके शामिल हैं। यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत की गई।**

मानकीकरण के माध्यम से एमएसएमई सशक्तीकरण

भारतीय मानक ब्यूरो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कारोबार को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसके लिए डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वित्तीय रियायतों के माध्यम से अनुपालन की लागत कम करने और मानकीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



एमएसएमई पर विशेष ध्यान बंकेट

"बीआईएस की लाइसेंस प्रक्रिया हमारे लिए आसान और सुगम रही। आज हम बीआईएस मानकों के अनुसार अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। **IS 17636 बंकेट** के लिए देश का पहला बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे ग्राहकों का हम पर भरोसा बढ़ा है, कंपनी की विश्वसनीयता मजबूत हुई है और हम बाजार में बेहतर पहचान मिली है।"

सिमाप्रीत सिंह भारिया
साझेदार, रॉयल सेफ कंपनी

बीआईएस की सिल्वर रिफाइनरी प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो जल्द ही **सिल्वर रिफाइनरी प्रमाणन योजना** शुरू करने जा रहा है। यह कीमती धातुओं के क्षेत्र में भारत की गुणवत्ता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रस्तावित योजना के तहत सिल्वर रिफाइनरियों के लिए एक प्रमाणन व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले चांदी के बुलियन और सिक्कों का उत्पादन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और **उत्पादों की ट्रेसबिलिटी** बढ़ाना तथा **उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत** करना है। बीआईएस वर्तमान में स्वर्ण रिफाइनरियों के लिए स्वेच्छिक गोल्ड रिफाइनरी योजना संचालित करता है। यह योजना वित्त मंत्रालय की गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।

वर्तमान में देश में 68 बीआईएस लाइसेंस प्राप्त गोल्ड रिफाइनरियां हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए बीआईएस ने अब इसी तरह की व्यवस्था सिल्वर रिफाइनरियों के लिए लागू करने की दिशा में चर्चा शुरू की है। 4 जून 2026 को आयोजित हितधारक परामर्श में उद्योग, प्रयोगशालाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने चांदी के बुलियन बार और सिक्कों के लिए बीआईएस प्रमाणन योजना शुरू करने का समर्थन किया।

प्रस्तावित योजना **बीआईएस (हॉलमार्किंग) रेगुलेशन, 2018** के तहत मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। इन नियमों के तहत बीआईएस से लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों और टकसालों द्वारा तैयार सोने और चांदी के बुलियन तथा सिक्कों की हॉलमार्किंग का प्रावधान है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए **IS 2112:2025 में चांदी के बुलियन और सिक्कों की हॉलमार्किंग के प्रावधान किए गए हैं।** इसके तहत **999, 999.5 और 999.9** शुद्धता स्तर वाली चांदी के बुलियन और सिक्कों को शामिल किया गया है।

सिल्वर रिफाइनरी प्रमाणन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बीआईएस ने तकनीकी, नियामक और डिजिटल स्तर पर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

- **परीक्षण सुविधाओं को मजबूत** किया जाएगा। इसके लिए बीआईएस की रेफरल असे लैबोरेटरीज में उच्च शुद्धता वाली चांदी की जांच की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जांच के लिए **प्रेविनेटिव मेथड, SPARK OES और ICP OES** जैसी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- **प्रमाणन व्यवस्था** तैयार की जा रही है। इसमें सिल्वर रिफाइनरियों के लिए निरीक्षण और परीक्षण योजना (एसआईटी) तथा संचालन संबंधी दिशा-निर्देश शामिल होंगे।
- **संबंधित भारतीय मानकों की समीक्षा** की जाएगी। हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर **IS 2112:2025 और IS 17278:2019** जैसे संबंधित मानकों की समीक्षा की जा रही है।
- **मानक ऑनलाइन पोर्टल पर सिल्वर रिफाइनरी मॉड्यूल** विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से सिल्वर रिफाइनरियां ऑनलाइन आवेदन, लाइसेंस प्रक्रिया, नवीनीकरण, निगरानी और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

सिल्वर रिफाइनरी प्रमाणन योजना भारत के गुणवत्ता हांचे को मजबूत करने की दिशा में बीआईएस का एक और महत्वपूर्ण कदम है। सिल्वर रिफाइनरियों के लिए एक व्यवस्थित प्रमाणन व्यवस्था बनने से रिफाइनिंग में बेहतर प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा, चांदी के उत्पादों की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे निर्माताओं, कारोबारियों और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। यह पहल मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के माध्यम से कीमती धातुओं के क्षेत्र में विश्वसनीय, प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप गुणवत्ता व्यवस्था विकसित करने की बीआईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



बीआईएस मार्गदर्शिका

निर्देशात्मक वीडियो



देखने के लिए स्कैन करें



उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझेदारी

भारत टेक्स 2026 में बीआईएस: मानकों, सर्कुलरिटी और नवाचार को बढ़ावा

भारतीय मानक ब्यूरो ने गुणवत्ता व्यवस्था को मजबूत करने और उद्योग तथा शिक्षा जगत के बीच सहयोग बढ़ाने में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए भारत टेक्स 2026 में सक्रिय भागीदारी की। भारत टेक्स 2026 देश का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन है। बीआईएस ने 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम में आधिकारिक नॉलेज पार्टनर के रूप में भाग लिया।

सस्टेनेबल टेक्सटाइल पर तकनीकी जानकारी

बीआईएस के टेक्सटाइल्स विभाग के प्रमुख श्री जे. के. गुप्ता ने तीन महत्वपूर्ण तकनीकी सत्रों में ब्यूरो का प्रतिनिधित्व किया। इन सत्रों में सस्टेनेबिलिटी तकनीकी वस्त्र और इंडिया सस्टेनेबल टेक्सटाइल मार्क (आईएसटीएम) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।



बीआईएस ने 'सर्कुलर टेक्सटाइल: संवाद से क्रियान्वयन तक' विषय पर आयोजित राउंडटेबल में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (आईसीसीई) ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर किया। इस दौरान बीआईएस की सर्कुलर इकोनॉमी सेक्शनल कमेटी (ईईओ 09) के सदस्य सचिव ललित यादव ने सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े बीआईएस मानकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये मानक संसाधनों के बेहतर उपयोग, टिकाऊ उत्पादन और कपड़ा क्षेत्र में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डिजिटल क्षमता परिपक्वता आकलन मॉडल (डीएमएस और डीएमयूस) पर आई.एस.ओ. की क्षेत्रीय कार्यशाला

भारतीय मानक ब्यूरो ने 15 से 17 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) डिजिटल क्षमता परिपक्वता आकलन (डीएमएस) कार्यशाला में भागीदारी की। कार्यशाला में बीआईएस की ओर से मणिकंदन के., वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख, आईटीएससीडी तथा नेहा यादव, वैज्ञानिक-ई, एससीएमडी ने प्रतिनिधित्व किया। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय मानक निकायों की डिजिटल बदलाव की क्षमता को मजबूत करना था। इसमें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल बदलाव को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के साथ-साथ डिजिटल क्षमता परिपक्वता आकलन मॉडल (डीएमएस) के बारे में जानकारी दी गई। यह रणनीति तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित और तथ्यों पर आधारित आकलन ढांचा है। कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि डिजिटल बदलाव केवल नई तकनीक अपनाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए सही रणनीति, चरणबद्ध कार्ययोजना, बेहतर प्रशासन, संस्थागत क्षमता, सभी हितधारकों के बीच तालमेल और परिणामों का मापना भी जरूरी है। डीएमएस ढांचा डिजिटल बदलाव की दिशा में पारदर्शी, नैतिक और व्यवस्थित तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करता है।

क्वालिटी इकोसिस्टम तंत्र सेवाओं पर वेबिनार

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के सहयोग से **10 जून, 2 जून, 15 जुलाई और 30 जुलाई 2026** को वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की। इसका उद्देश्य बीआईएस की ओर से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और देश की गुणवत्ता व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। वेबिनार के दौरान बीआईएस के विशेषज्ञों ने संगठन की प्रमुख सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इनमें मुख्य रूप से:
- मानकीकरण:** भारतीय मानकों के निर्माण, इसमें हितधारकों की भागीदारी और बीआईएस की डिजिटल पहलों के बारे में जानकारी दी गई।
- अनुरूपता मूल्यांकन योजनाएं:** उत्पाद प्रमाणन, अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस), प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और अन्य प्रमाणन सेवाओं के बारे में बताया गया।
- हॉलमार्किंग:** हॉलमार्किंग व्यवस्था, उपभोक्ताओं के लिए इसके फायदे और उद्योग के लिए जरूरी अनुपालन की जानकारी दी गई।
- प्रयोगशाला सेवाएं:** बीआईएस की प्रयोगशाला व्यवस्था और उत्पादों की जांच एवं परीक्षण से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी साझा की गई।

प्रत्येक वेबिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हर तकनीकी सत्र के बाद सवाल-जवाब का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बीआईएस के विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछकर विभिन्न सेवाओं से जुड़ी अपनी शंकाओं का समाधान किया। वेबिनार श्रृंखला में मानकों, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उत्पाद प्रमाणन, हॉलमार्किंग और परीक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। इन व्यवस्थाओं से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने, व्यापार को सुगम बनाने और 'क्वालिटी इंडिया' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

साइबर सुरक्षा और निजता पर सेमिनार: मानकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर

भारतीय मानक ब्यूरो ने 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित मानक भवन में 'साइबर सुरक्षा और निजता: मानकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' विषय पर सेमिनार आयोजित किया। इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, उपभोक्ता संगठनों और मानक विकास से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सेमिनार का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े उभरते खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसमें उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियों और इन चुनौतियों से निपटने में मानकों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में सुरक्षित डिजिटल सेवाओं, डेटा के बेहतर प्रबंधन, जवाबदेही और अनुरूपता मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, भविष्य में साइबर सुरक्षा और निजता के क्षेत्र में नए मानक विकसित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई।



सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने बदलते साइबर खतरों, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से जुड़े मानकों और 'प्राइवसी बाय डिजाइन' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। साथ ही, बीआईएस की **एलआईटीडी 17 सूचना प्रणाली सुरक्षा और निजता सेक्शनल कमेटी के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर 'साइबर सुरक्षा और निजता मानकों के माध्यम से उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करना: क्या हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं?' विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें साइबर सुरक्षा और निजता के क्षेत्र में आने वाली भविष्य की चुनौतियों तथा इनसे निपटने के लिए विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ। सेमिनार का समापन सवाल-जवाब के संवादात्मक सत्र, प्रमुख निष्कर्षों की प्रस्तुति और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में हुई चर्चाओं से भारत में साइबर सुरक्षा, निजता और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ भारतीय मानकों के विकास और उनमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी।**

आगामी बैठक: नवंबर 2026 में आईएसओ की कार्य समूह बैठकें

नवंबर 2026 में बीआईएस **दिल्ली** में आईएसओ की दो महत्वपूर्ण कार्य समूह बैठकों की मेजबानी करेगा। इन बैठकों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े तकनीकी मानकों और आवश्यकताओं पर चर्चा की जाएगी।

- ISO TC 22/SC 32/WG6** - ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस से संबंधित कार्य समूह की बैठक **10 से 12 नवंबर 2026** तक आयोजित होगी।
- ISO TC 22/SC 32/WG4** - ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल केबल्स से संबंधित कार्य समूह की बैठक **17 से 19 नवंबर 2026** तक आयोजित होगी।



AUSTRALIA-INDIA

STANDARDS TRADE ENABLING PROJECT



19-21 August 2026

National Institute of Training for Standardization, Noida

For More Information visit inindianstandards

मानक संवर्धन

कश्मीर के क्रिकेट बैट निर्माताओं के साथ एमएसएमई बैठक

भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय ने 16 जुलाई 2026 को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के साथ एमएसएमई संवाद कार्यक्रम आयोजित की। इसमें कश्मीर घाटी के करीब 50 प्रमुख क्रिकेट बैट निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी देश में क्रिकेट बैट निर्माण के प्रमुख केंद्रों में से एक है। बैठक में स्थानीय निर्माताओं के साथ IS 828 (भाग 1): क्रिकेट बैट - लेटर बॉल के इस्तेमाल के लिए विनिर्देश पर चर्चा की गई। यह मानक कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो से बनाए जाने वाले क्रिकेट बैट के लिए आवश्यक गुणवत्ता और अन्य मानकों को निर्धारित करता है।



उद्योग प्रतिनिधियों ने टेनिस बॉल क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले क्रिकेट बैट के लिए IS 828 (भाग 2) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे कश्मीर के क्रिकेट बैट निर्माताओं के लिए बाजार के नए अवसर खुल सकते हैं। बीआईएस अधिकारियों साकिब राही, उप निदेशक/वैज्ञानिक-सी और सुमित कश्यप, सलाहकार (मानकीकरण) ने प्रतिभागियों को बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना (ISA मार्क), अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं तथा बीआईएस की तकनीकी समितियों में हितधारकों की भागीदारी के तरीकों के बारे में जानकारी दी।

IS 4151:2015 के अनुरूप दोपहिया चालकों के सुरक्षात्मक हेलमेट पर मानक मंथन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने नोएडा स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) में IS 4151:2015—दोपहिया चालकों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट: विनिर्देश विषय पर 'मानक मंथन' कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, परिवहन विभाग के अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, हेलमेट निर्माताओं, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और विद्यार्थियों सहित 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

तकनीकी विशेषज्ञों ने IS 4151:2015 के तहत हेलमेट की गुणवत्ता जांच और प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसमें झटके को सहने की क्षमता, हेलमेट में नुकीली वस्तु के प्रवेश से सुरक्षा, दृश्य क्षेत्र और चिन स्ट्रैप की मजबूती जैसे महत्वपूर्ण मानकों की जांच शामिल है। कार्यक्रम का समापन सवाल-जवाब के संवादात्मक सत्र के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने ISA मार्क वाले सुरक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने और सड़क पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए सामूहिक संकल्प भी लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम: अगस्त 2026

प्रशिक्षण कार्यक्रम	तारीख	स्थान	शुल्क रु.
IS/ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली	4-7 अगस्त	ऑनलाइन	11,700
नेशनल लाइटिंग कोड (एनेएलसी) पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स	10-11 अगस्त	NITS	7,000
एसेट मैनेजमेंट सिस्टम—IS/ISO 55001:2024 पर 2 दिवसीय दस्तावेजीकरण, जागरूकता और आंतरिक ऑडिटर (आईए) कोर्स	10-11 अगस्त	NITS	7,000
आईएलसी, पीटी और स्कोर का मूल्यांकन	11-12 अगस्त	SRO, चेन्नई	7,000
IS/ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली	18-21 अगस्त	NITS	13,000
नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एनईसी) पर 2 दिवसीय कैप्सूल कोर्स	18-21 अगस्त	NITS	7,000

पंचकुला के डे-केयर सेंटर एवं वृद्धाश्रम में आरडब्ल्यूए जागरूकता कार्यक्रम

बीआईएस हरियाणा शाखा कार्यालय ने वरिष्ठ नागरिक परिषद के सहयोग से 21 जुलाई 2026 को डे-केयर सेंटर कम ओल्ड-एज होम, पंचकुला में आरडब्ल्यूए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



कार्यक्रम में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में भारतीय मानकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी बताया गया। इसमें ISA मार्क, सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घरेलू विद्युत उत्पादों के लिए सीआरएस प्रमाणन तथा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी सहायक उत्पादों से जुड़े मानक शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने बीआईएस की गतिविधियों और मानकों से जुड़े विषयों पर जानकारी प्राप्त की। यह कार्यक्रम उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और समाज में गुणवत्ता मानकों के महत्व को मजबूत करने की दिशा में उपयोगी पहल साबित हुआ।

जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए शाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

बीआईएस पटना शाखा कार्यालय ने शाइन (स्टैंडर्ड्स हेल्प, इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड विमेन) पहल के तहत बिहार के सहरसा और मधुबनी जिलों में 4 से 7 जुलाई 2026 तक जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें जीविका स्वयं सहायता समूहों की 150 से अधिक महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को बीआईएस मानकों, उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इसमें बेबी फीडिंग बोटल, शिशु आहार और खाद्य मिलावट, प्रेशर कुकर, हेलमेट, खिलौने, खाना पकाने के बर्तन, पैकेज्ड पेयजल, चिकित्सा उपकरण, गर्भनिरोधक उत्पाद और मेडिकल टेक्सटाइल जैसे रोजमर्रा के उपयोग से जुड़े उत्पादों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को ISA मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क और हॉलमार्क के महत्व के बारे में भी बताया गया। उन्हें सलाह दी गई कि कोई भी उत्पाद खरीदते समय इन गुणवत्ता चिह्नों की जांच जरूर करें, ताकि उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

प्रमाणन विभाग में प्रशासनिक बदलाव

श्री एच. जे. एस. पसरिचा के 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद श्री सुधीर बिश्रोई ने बीआईएस में उप-महानिदेशक (प्रमाणन) का कार्यभार संभाल लिया है। श्री बिश्रोई को अनुरूपता मूल्यांकन (Conformity Assessment) के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक और मानकीकरण के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव है। वे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के लिए ऑडिटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।



सुधीर बिश्रोई

50 लाख+

सौर ऊर्जा संचालित घरों की ओर अग्रसर

IS/IEC 61730 (भाग 2): फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं - परीक्षण के लिए विशेष आवश्यकताएं

IS 12834: सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा प्रणालियां - परिभाषाएं और संकेत

